संख्या-426/2022/1081रासनि/23-1-22/003-18आरएसएन/2021

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 17 नवम्बर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 19 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या- 1980/CE-HQ-1/RSN 5054/AZM/2022-23, दिनांक 04.11.2022, संख्या- 1981/CE-HQ-1/RSN 5054/PRJ/2022-23, दिनांक 04.11.2022, संख्या- 1982/CE-HQ-1/RSN 5054/KNP/2022-23, दिनांक 04.11.2022, संख्या- 1983/CE-HQ-1/RSN 5054/BAN/2022-23, दिनांक 04.11.2022, संख्या- 1984/CE-HQ-1/RSN 5054/BAS/2022-23, दिनांक 04.11.2022 एवं संख्या-1985/CE-HQ-1/RSN 5054/SAH/2022-23, दिनांक 04.11.2022, **द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 19 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 8,82,12,000/- (रूपये आठ करोड़ बयासी लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख. बलिया	आसचैरा भर टोली सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	21/2020/460 रासनि/23-1-19-37 रासनि/19	116.77	110.94	0.08	5.75	5.75
2	नि.ख. बलिया	बलबीर नैना सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	21/2020/460 रासनि/23-1-19-37 रासनि/19	107.6	86.08	0.07	21.45	21.45
3	नि.ख. बलिया	ग्राम डुमरिया में वर्मा जी के हाता पोखरा बिन्द बस्ती चकरा होते हुए पक्की सड़क तक मार्ग का निर्माण कार्य	81 /2020/664 रासनि /23-1-20-57 रासनि/19	207.17	166.26	0.10	40.81	40.81
4	नि.ख. बलिया	हल्दी सतहवार मार्ग से हरिपुर काली मन्दिर से तिवारी छपरा महाबीर स्थान तक मार्ग के निर्माण का कार्य	81 /2020/664 रासनि /23-1-20-57 रासनि/19	130.78	104.67	0.06	26.05	26.05
5	नि.ख. बलिया	कैथवाली सेन्ट्रल बैंक से प्रा0विद्यालय असेगी नईबस्ती तक मार्ग के निर्माण का कार्य	81 /2020/664 रासनि /23-1-20-57 रासनि/19	69.71	35.84	0.03	33.84	33.84
6	नि.ख. बलिया	प्राथमिक विद्यालय असेगी के पास से कैथवली मठिया दुसाध बस्ती तक मार्ग के निर्माण कार्य	81 /2020/664 रासनि /23-1-20-57 रासनि/19	97.75	50.25	0.05	47.45	47.45
7	नि.ख.	बभनौली शिव मंदिर से असेगी से	81 /2020/664 रासनि /23-1-20-	77.89	16.68	0.03	61.18	61.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बलिया	भरटौली तक मार्ग के निर्माण कार्य	57 रासनि/19					
8	**नि.ख. बलिया**	बभनौली आंगनबाड़ी केन्द्र से असेगी बुद्धिरामपुर नरायनपुर मार्ग तक निर्माण कार्य (2115)	81 /2020/664 रासनि /23-1-20-57 रासनि/19	115.19	92.19	0.05	22.95	22.95
9	**नि.ख. बलिया**	भाला बाबा कुटी सम्पर्क मार्ग का सी.सी. रोड के निर्माण का कार्य	85 /2020/376 रासनि /23-1-20-56 रासनि/20	470.48	398.83	1.26	70.39	50.00
10	**नि.ख. बलिया**	दियर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0	348.95	34.9	0.28	313.77	174.00
11	**प्रा.ख. प्रतापगढ़**	रामपुर लच्छीपुर मार्ग किमी0 5 से सण्डौरा ग्राम में डिहवा तक सम्पर्क मार्ग।	174/2021/742 रासनि/23-1-21-40 रासनि/20 टीसी	86.05	30.12	9.23	46.7	46.70
12	**प्रा.ख. प्रतापगढ़**	सी0एम0एस0 मार्ग किमी0-5 से फेनहा पण्डितान बस्ती सम्पर्क मार्ग	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0	76.59	26.81	15.11	34.67	34.67
13	**प्रा.ख. कानपुरनगर**	लखनऊ झांसी मार्ग से छठ पूजा घाट तक सी.सी. मार्ग के नवनिर्माण का कार्य तथा छठ पूजा घाट के सौन्दर्यीकरण व पुनः निर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	283.35	62.51	0.00	220.84	141.16
14	**प्रा.ख. बांदा**	अलिहा नहर पटरी से बिलगांव सम्पर्क मार्ग के किमी 3(500-1000) से 10(350) में पुनः निर्माण का कार्य।	372/2021/1203 रासनि/23-1-21-46 रासनि/20 टी0सी0	140.13	35.51	30.39	74.23	66.00
15	**प्रा.ख. बस्ती**	गोपीनाथपुर प्रधानमंत्री मार्ग से नव्या भारत गैस एजेन्सी होते हुये करमीपट्टी तक सम्पर्क मार्ग।	99/2021/530 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20	29.6	22.92	0.04	6.64	6.64
16	**नि.ख.-3 सहारनपुर**	सरसावा से बिन्नाखेड़ी चैरा दुमझेड़ी दुमझेड़ा होते हुए धौलाहेडी (अजिमा) मार्ग पर आबादी भाग में सी0सी0 व पुनर्निर्माण का कार्य।	234/2021/891 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20	241.71	206.06	2.47	33.18	33.18
17	**नि.ख.-3 सहारनपुर**	पठेड नानौली से लतीफपुर भूढ से सढौली होते हुए नौशेरा गन्देवड मार्ग (अ0जि0मा0) पर आबादी भाग में सी0सी0 व पुनर्निर्माण का कार्य।	234/2021/891 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20	239.4	203.61	4.06	31.73	31.73
18	**नि.ख.-3 सहारनपुर**	कादरगढ़ से शेखपुरा सम्पर्क मार्ग के पुनः निर्माण का कार्य।	22/2022/1816 रासनि/23-1-21-08 रासनि/21	63.3	6.33	0.00	56.97	32.00
19	**नि.ख.-1 मुजफ्फरनगर**	जनपद मुजफ्फरनगर में शहीद श्री विकास कुमार की स्मृति में जगदीश प्रजापति के मकान से अमीर प्रजापति के मकान तक सी.सी. एवं नाली निर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	13.12	4.15	2.41	6.56	6.56
							कुल योग-	**882.12**

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 8,82,12,000/- (रूपये आठ करोड़ बयासी लाख बारह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-426/2022/1081**रासनि(1)/23-1-22/003-**18**आरएसएन/**2021**, तद्दिनांक**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- /2022/ रासनि/23-1-22/ -08आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक अक्टूबर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 11 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1800/CEHQ/RSN5054/BAR2022-23, दिनांक 14.10.2022 **द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 11 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 99.96 लाख (रूपये निन्यानबे लाख छियानबे हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. पीलीभीत	निसरा परेवा वैश्य से लुधपुरा तक सम्पर्क मार्ग (मिसिंग लिंक) के नवनिर्माण का कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20	63.95	42.03	6.27	15.65	6.39
2	प्रा.ख. पीलीभीत	ग्राम भौनी से करगैना पीरा होते हुये करगैना नहर तक सम्पर्क मार्ग (मिसिंग लिंक) के नवनिर्माण का कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20	171.11	150.55	6.90	13.66	13.66
3	प्रा.ख. पीलीभीत	सरदार नगर नवादा श्यामपुर पंसोली लालपुर मार्ग से सुस्वार तक सम्पर्क मार्ग (मिसिंग लिंक) के नवनिर्माण का कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20	44.62	37.27	0.20	7.15	7.15
4	प्रा.ख. पीलीभीत	श्पीलीभीत मझोला से सिरसा सेमराखेंड़ा सम्पर्क मार्ग।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20	65.25	49.21	0.27	15.77	6.52
5	प्रा.ख. पीलीभीत	गोपालनगर से गुलरबोझ तक सम्पर्क मार्ग (मिसिंग लिंक) के नवनिर्माण का कार्य।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20	175.35	154.44	6.76	14.15	14.15
6	प्रा.ख. पीलीभीत	ग्राम वारनवादा से बरेली सीमा तक सम्पर्क मार्ग	108/2021/560 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20	61.14	27.70	3.28	30.16	6.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.upgov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	प्रा.ख. पीलीभीत	बगनेरा बगनेरी से बांसखेड़ा तक सम्पर्क मार्ग (मिसिंग लिंक) के नवनिर्माण का कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	76.3	38.61	1.40	36.29	7.63
8	प्रा.ख. पीलीभीत	बिसाती की गौटिया बक्शपुर बांसखेड़ा सम्पर्क मार्ग से दबका तक सम्पर्क मार्ग (मिसिंग लिंक) के नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	52.48	27.18	2.14	23.16	5.24
9	प्रा.ख. पीलीभीत	पीलीभीत बस्ती मार्ग किमी 8 से तकिया ग्राम शिव मंदिर तक सम्पर्क मार्ग (मिसिंग लिंक)।	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3	62.89	37.74	9.12	16.03	6.29
10	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	समसपुर सम्पर्क मार्ग	108/2021/560 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20	68.27	54.53	0.44	13.30	6.82
11	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	इन्देपुर से हसनपुर रसकूपा सम्पर्क मार्ग।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	227.06	181.64	0.22	45.20	20.00
							कुल योग-	99.96

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 99,96,000/- (रूपये निन्यानबे लाख छियानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या- /2022/ रासनि(1)/23-1-22/ -08आरएसएन/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in